न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/162/16

अनुवान– 1 बीरबल पुत्र खेमा जाति बंजारा निवासी नांगलदासा तहसील राजगढ

:– प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रेवड जाति गुर्जर निवासी नांगलदासा तहसील राजगढ
2. प्रभू पुत्र रेवड जाति गुर्जर निवासी नांगलदासा तहसील राजगढ
3. मूलचन्द पुत्र रेवड जाति गुर्जर निवासी नांगलदासा तहसील राजगढ
4. कैलाश नारायण पुत्र महादेवा जाति महाजन निवासी ग्राम बडोली तहसील एवं जिला दौसा हाल देना बैक के पीछे जैन के मकान मे दौसा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

05.06.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालुता पर मूल वाद के साथ वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं0 49/480 रकबा 1.25 है0 वाके नांगलदासा तहसील राजगढ जिसका साबिक खसरा नं0 संवत 2046 से पूर्व 21 था, जिस पर प्रार्थी 50–55 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता रहा है। आराजी को मेहनत करके काबिल काश्त किया है। आराजी का बौरिग कराकर सिचाई करता है, तथा रहवास भी करता है। अप्रार्थीगण का आराजी से कोई संबंध नही है। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा गलत आवंटन कराया है। उसका कभी आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी का कब्जे के आधार कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जा दिनांक 25.08.2016 को इन्तकाल संख्या 353 खातेदारी दर्ज कराया है। तथा दिनांक 30.08.2016 को एक बयनामा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के हक मे तस्दीक कराया व नल एण्ड वॉईड है। प्रार्थीगण आराजी पर कब्जा काश्त है। इसलिये प्राईमा फेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अंत मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। प्रकरण मे एकपक्षीय बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24.10.2016 को दिनांक 29.11.2016 तक के लिये राजस्व रिर्काड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये।

अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवदेन किया कि आराजी विवादित से प्रार्थी को कोई संबध व सरोकार नही है। न ही वो आराजी का खातेदार है। प्रार्थी आराजी पर कब्जा बताकर एडवर्स पजेशन के आधार खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है, जो कानूनन सही नही है। आराजी विवादित का खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 था। जिसका आराजी पर कब्जा काश्त था उसके द्वारा अपनी आराजी उक्त को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को विक्रय कर दी है। तभी से आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त है। अंत मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 109 वाके ग्राम नांगलदासा तहसील राजगढ का अवलोकन किया उक्त जमाबंदी के अंकित इन्द्राज के अनुसार खसरा संख्या 49/480 रकबा 1.25 है0 का जमाबंदी के कॉलम संख्या 04 मे अप्रार्थी संख्या 04 कैलाश नारायण गैर खातेदार दर्ज है। इसी जमाबंदी के लगे नोट से ईन्तकाल संख्या 353 दिनांक 25.08.2016 के द्वारा कैलाश नारायण को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई है। पत्रावली पर सलंग्न विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2016 के द्वारा कैलाश नारायण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के हक मे बयनामा किया हुआ है। जैसा कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में आराजी पर अपना कब्जा होना व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है। जिसका निर्णय मूल वाद में बाद सुनवाई साक्ष्य सबूतों पर होना है। वर्तमान में प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की और से प्रस्तुत नही है। जिससे आराजी विवादित पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त साबित हो मात्र

मौखिक कथनो के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी व आराजी विवादित पर कब्जा काश्त नही माना जा सकता। इस प्रकार आराजी विवादित पर पत्रावली पर उपलब्ध रिर्काड से प्रार्थी की खातेदारी वर्तमान व पूर्व मे प्रथम दृष्टया साबित नही होने से प्राईमा फेसी केस व सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं. 49/480 रकबा 1.25 है0 वाके नांगलदासा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है,तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 24.10.2016 का प्रचलन निरस्त किया जाता हैं।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट श्यालुता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता